



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1932 (श०)

(सं० पटना 240) पटना, बुधवार, 7 अप्रैल 2010

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 मार्च 2010

सं० वि०स०वि०-18/2010-1172/वि०स०।—“बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010” जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा, पटना।

[विंस०वि०-18/2010]

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (अधिनियम VI, 1935) में संशोधन हेतु विधेयक।

प्रस्तावना :— चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य विकास की अपार सम्भावना है,

और, चूँकि, राज्य सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों को प्रशिक्षित करते हुए और तकनीकी सहायता देते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं,

और, चूँकि, राज्य सरकार की यह नीति है कि जलकरों की बन्दोबस्ती परम्परागत मछुआरों की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ किया जाए,

और, चूँकि, यह आवश्यक माना गया है कि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की संख्या को पुनर्गठित किया जाए ताकि बेहतर प्रबन्धन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी सहायक हो,

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। — (i) यह अधिनियम बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह उस तिथि से, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करते हुए नियत करे, प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम VI, 1935 की धारा—8 का संशोधन। — उक्त अधिनियम की धारा—8 की उप—धारा—(1क) के बाद निम्नलिखित नई उप—धारा—(1ख) अंतःस्थापित की जायेगी, यथा—

“(1ख) बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 अथवा किसी अन्य बिहार अधिनियम अथवा उसके तहत गठित नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की उपविधि अथवा राज्य सरकार या निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी, एक प्रखण्ड में मात्र एक निबन्धित मत्स्यजीवी सहयोग समिति होगी, जिसका कार्यक्षेत्र प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा तक विस्तारित होगा।

3. बिहार अधिनियम VI, 1935 की धारा—11क के बाद नई धारा—11ख का जोड़ा जाना। — उक्त अधिनियम की धारा—11क के बाद निम्नलिखित नई धारा—11ख जोड़ी जाएगी, यथा—

“11ख बिहार अधिनियम VI, 1935 या किसी अन्य अधिनियम अथवा उसके तहत गठित नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की उपविधि अथवा राज्य सरकार या निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सभी विद्यमान प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिनका कार्यक्षेत्र प्रखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, एक समिति में संविलित माने जाएँगे तथा बिहार अधिनियम VI, 1935 के अन्तर्गत एक नई समिति स्वतः निबन्धित समझे जाएँगे एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ निबन्धन प्रमाण—पत्र निर्गत करेगा :

परन्तु, ऐसे पुनर्गठन होने पर विद्यमान सहयोग समिति अथवा बिहार अधिनियम VI, 1935 अथवा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी समिति के सभी सदस्य पुनर्गठित समिति के सदस्य समझे जाएँगे एवं सदस्यों को वैसे समिति के सदस्यों के सभी अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होंगे।

परन्तु यह और कि, वैसे पुनर्गठन के बाद, निबंधक/सरकार, पुनर्गठित समिति एवं वैसे सम्बद्ध समितियों, जिसके मत्स्यजीवी सहयोग समिति सदस्य हो, के कार्य संचालन हेतु तदर्थ प्रबन्ध समिति गठित करेगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से अनधिक होगी तथा जिसके अधीन निर्वाचन के बाद नई प्रबन्ध समिति का गठन किया जाएगा।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के मछुआरों के बीच जलकरों के बन्दोबस्ती सम्बन्धी विवाद को कम करने, मछुआरों को प्रशिक्षित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रखण्ड स्तर की सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर प्रखण्ड स्तर की एक ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति का बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत गठन किया जाए। इस नई मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कार्यक्षेत्र प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा तक विस्तारित होगा, जिसमें पुनर्गठित होने वाली सभी प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य स्वतः नई समिति के सदस्य हो जाएँगे। उपर्युक्त का प्रावधान करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही अभीष्ट है।

(गिरिराज सिंह)

भारधारक सदस्य।

पटना:

दिनांक 30 मार्च, 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 240-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>